

दूरभाष -23793521  
फैक्स- 23793521

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं०- 19011/26/2020/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि.  
सेवा में

11505 से 2004

दिनांक : 02/11/2020

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में- ऑनलाइन पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2021. महोदय/महोदया,

भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षक (Faculty Members) अपने संस्थानों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, इसी उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020 तक इस संस्थान द्वारा 45 (पैंतालीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाना शेष है। गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40/3/2020-डी. एम-1(ए) दिनांक 17 मई, 2020 के क्रम सं.2(III) के अनुसरण में, ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष 2021 में ऑनलाइन चलाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थानों/कार्यालयों के प्रशिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

**प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी**

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम                          | उद्देश्य                                                                                                                                                                                                 | अवधि                                                                             | नामित अधि. की पात्रता/पदनाम                                                                                                                                        | भारत सरकार के प्रशि.संस्थान/ कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है                                                      |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम | विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना। उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाना। | 17.05.2021 से 21.05.2021 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम | ऐसे संकाय सदस्य [Faculty membrs] अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं परंतु जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही हो। | भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि। |

### नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "I" में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

#### विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इसे सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं तथा अपने प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- कृपया इस कार्यक्रम के लिए नामित अधिकारियों के मोबाइल(व्हाट्सएप) नंबर और ई-मेल भेजना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक श्रीमती समीर त्रिखा से दूरभाष सं.011-23793521 या मोबाइल नं. 9729177268 तथा ई-मेल [chti1182@nic.in](mailto:chti1182@nic.in) पर संपर्क करें।

भवदीया,

*(सुमन लाल)*  
27.10.2020

निदेशक (प्रभारी)

पृष्ठांकन सं.-19011/26/2020-केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1505 सं 2004

दिनांक: 02/11/2020

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बंगलूरु।

*(सुमन लाल)*  
27.10.2020

(सुमन लाल)

निदेशक(प्रभारी)

## अधिकारियों का संपर्क विवरण

| 1.                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निदेशक,<br>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,<br>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय<br>सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय<br>भवन, सी.जी.ओ. परिसर<br>लोदी रोड, नई दिल्ली -110003<br>दूरभाष-011-24361852<br>फैक्स-011-24361852<br>ई-मेल dirchti-dol@nic.in | प्रभारी सहायक निदेशक,<br>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,<br>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय<br>अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक<br>2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011<br>दूरभाष-011-23793521<br>फैक्स-011-23793521<br>ई-मेल chti1182@nic.in |

## नामांकन प्रपत्र

| प्रशिक्षक का नाम | पदनाम | मातृभाषा | वर्तमान तैनाती का स्थल | शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता | हिंदी का ज्ञान | टेलीफोन नं.(कार्यालय/ मोबा. व्हाट्सएप नंबर | ई मेल आई डी |
|------------------|-------|----------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|
|                  |       |          |                        |                        |                |                                            |             |

प्रायोजक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान का पूरा पता.....

दूरभाष सं.. .....मोबाइल नं..... फैंक्स नं. ....

ई मेल आई डी ..